न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 49 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भैराराम पुत्र कुनाराम जाति सीरवी निवासी बेरा खारचीया, पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. कालुराम पुत्र बोराराम 2. धनश्याम पुत्र बोराराम 3. चन्द्रा पत्नि स्व0 जेठाराम 4. अशोक पुत्र स्व0 जेठाराम 5. नितिन पुत्र स्व0 जेठाराम 6. उषा पुत्री स्व0 जेठाराम 7. सोनू पुत्री स्व0 जेठाराम 8. मीनू पुत्री स्व0 जेठाराम 9. बाबुलाल पुत्र बोराराम 10. मदनलाल पुत्र बोराराम जातिगण नायक निवासीगण पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 11. भीकाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 12. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 13. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महो0 पाली राज0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री अजय चौहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 21/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम पिपलाद पटवार हल्का केलवाद, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ाकलां तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 30 रकबा 1.2200 हैक्टर में पंहुचने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा संख्या 29/801 रकबा 0.6000 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 11 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/800 रकबा 0.5000 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 29/798 रकबा 0.4000 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 29/797 रकबा 0.1000 हैक्टर व खसरा नम्बर 29/802 रकबा 0.3500 हैक्टर ग्राम पिपलाद तहसील सोजत की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी वर्तमान खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 30 रकबा 1.2200 हैक्टर में पंहुचने हेतु प्राप्त करना चाहते है। सरहद मौजा ग्राम पिपलाद के वर्तमान खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 30 रकबा 1.2200 हैक्टर में प्रार्थी 1/48 हक हिस्सा बनता है, एवं प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

के आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता प्राप्त करना चाहता है, प्रार्थी के पूर्वजो ने पूर्व में इस खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये तहसीलदार महोदय, सोजत के समक्ष धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था, जो प्रकरण राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/1983 दर्ज होकर दिनांक 21/12/1983 को फैसल हुआ था, जिसमें तहसीलदार महोदय, सोजत द्वारा प्रार्थी के पूर्वज भगा वगैरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंचने के लिये 29/798 के उतरी–पश्चिमी कौने से एक एयर भूमि रास्ते में शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये थे एवम् बदले में 29/797 में से एक एयर रकबा 29/798 के खातेदार को दिये जाने के आदेश एवम् तदानुसार तरमीम की जावे के प्रदान किये गये थे, लेकिन उसके पश्चात् भी आज दिनांक तक उक्त आदेश की क्रियान्वीती नहीं हो पाई है। वर्तमान में धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्तित्व में आने के पश्चात् श्रीमान को रास्ता उपलब्ध कराने बाबत् सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार होने से व पूर्व में तहसीलदार महोदय, सोजत के आदेश की पालना नही होने से श्रीमान के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये पेश है। प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 30 में पहुंचने के लिये 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 29/802, 29/801, 29/800, 29/797, 29/798 प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखते है, क्योंकि उपरोक्त भू–भाग के खसरे के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंचने के लिये उपलब्ध नही है। प्रार्थी को आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, गाड़ी, छकड़ा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 29/802, 29/801, 29/800, 29/797, 29/798 में से जो रास्ता चाहिये वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे से प्रस्तावित दर्शित किया है, तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत तक पंहुचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शा अलग से बना कर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पीपलाद, पटवार हल्का केलवाद के खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' में ए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे से दर्शित 30 फुट रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/802, 29/801, 29/800, 29/797, 29/798 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02, 09,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

04. 10, 11 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पीपलाद में खसरा नम्बर 30 की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई स्थित है, उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन के रास्ते हेतु प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस खसरो में से रास्ते की मांग की गई है व खसरा संख्या 29/801, 29/800, 29/798, 29/793, 29/802 से 30 फीट रास्ता की मांग की गई है, जो गलत कि गई है। मौके पर मात्र 13 फुट रास्ता है, उक्त 13 फुट रास्ते को स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को उज्ज एतराज नहीं है अगर 13 फीट के रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण सहमत है। लिहाजा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 13 फुट रास्ते की हद तक अगर स्वीकार फरमाया जाता है तो कोई आपत्ति नही है, अन्यथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूबे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1231 दिनांक 28.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि खसरा नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल किता 06 कुल रकबा 7.80 है0 में आवागमन हेतु ख0नं0 29/798, 29/800, 29/801, 29/802 के उत्तरी दिशा में कदीमी रास्ता (18 फीट चौड़ाई) का स्थित हैं। प्रार्थी भैराराम वगैरह कौम सीरवी की खातेदारी भूमि ख0नं0 30, 31, 32, 33, 34, 35 में आवागमन हेतु कदीमी रास्ता मार्क ए से बी मौके पर स्थित है, जिससे प्रार्थीगण आवागमन करते हैं। मार्क ए से बी कदीमी रास्ता मुख्य मार्ग ख.नं. 37 किस्म गै0मु0 रास्ता से जुड़ा हुआ हैं। मार्क ए से बी कदीमी रास्ता की कुल लम्बाई 300 मीटर हैं। मार्क ए से बी निकटतम प्रस्तावित मार्ग हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 216113/– रूपये प्रति हैक्टर हैं। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम पीपलाद, पटवार हल्का केलवाद के खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे से दर्शित 30 फुट रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/802, 29/801, 29/800, 29/797, 29/798 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्र 13 फुट रास्ते की हद तक अगर स्वीकार फरमाया जाता है तो कोई आपत्ति नही है, अन्यथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 'एबी' से होकर ख.नं. 29/798, 29/800, 29/801, 29/802 के उत्तरी मांठ से होकर ख.नं. 37 किस्म गै0मु रास्ता से मिलता है। प्रस्तावित रास्ता 'एबी' कुल रकबा 0.1200 है0 (लंबाई × चौड़ाई = 300 मी0 × 4 मी0) किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम पीपलाद, पटवार हल्का केलवाद, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा नम्बर 30 में पहुंचने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/802, 29/801, 29/800, 29/797, 29/798 में से सम्बद्ध खातेदारान के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (216113/—रू0 × 2 × 0.1200 है0 = 51867.12/— रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दोगुना)
01.	29/802 बा0अ0	0.3500 है0	राजस्थान सरकार (सिवायचक)	86 मी0 × 4 मी0 = 0.0344 है0	14868.57 /–रू
02.	29/801 बा0अ0	0.6000 है0	कालुराम पुत्र बोरीया हि0 1/5 घनश्याम पुत्र बोरीया हि0 1/5 जेठाराम पुत्र बोरीया हि0 1/5 बाबूलाल पुत्र बोरीया हि0 1/5 मदनलाल पुत्र बोरीया हि0 1/5 जाति–नायक सा0 देह खातेदार	70 मी0 × 4 मी0 = 0.0280 है0	2420.46 /–रू प्रति खातेदार = कुल 12102.32 /–रू
03.	29/800 बा0अ0	0.5000 है0	भीकाराम पुत्र धना हि0 पूर्ण जाति मेगवाल सा0 देह खातेदार	88 मी0 × 4 मी0 = 0.0352 है0	15214.35 /–रू
04.	29/798 बा0अ0	0.4000 है0	कालुराम पुत्र बोराराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार	56 मी0 × 4 मी0 = 0.0224 है0	9681.86 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/05/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)